

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
पीठारसीन अधिकारी श्री रवि वर्मा

अपील संख्या 21/23

तारीख रज्जू- 23.11.23

1. हरसहाय पुत्र बत्तू जाति भीना निवासी ग्राम मैडी तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी।
2. छुट्टन पुत्र बत्तू जाति भीना निवासी ग्राम मैडी तहसील वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी।

-अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार वजीरपुर तहसील वजीरपुर।

-रेस्पोंडेन्ट

निर्णय


दिनांक- 29.05.2024


अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 119/22 में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम मैडी के आराजी ख0नं0 1317,1342 रकबा 0.45 हे0 किस्म सिवायचक पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि प्रार्थीगण अपीलान्त की असालतन तामील आज दिनांक दायरी अपील तक नहीं हुई है। फर्जी तामील व फर्जी हस्ताक्षर बनाकर दिखाकर व अदालत हाजा को गुमराह कर प्रार्थी अपीलान्त के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही कर उक्त निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है, जो काबिले निरस्त है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण अपीलान्त को पश्चात्वर्ती मानकर सिविल कारावास की सजा देकर कानूनी भूल की है जो निरस्तनीय है, साथ ही पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलान्त का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण होना बताया है, लेकिन अदालत मातहत की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज सलग्न नहीं है। जिससे अपीलान्त का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण होना साबित होता है। अपीलान्त का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण नहीं था, साथ ही अदालत मातहत द्वारा अपीलान्त को जारी नोटिस में भी अपीलान्त के प्राप्ति के कोई हस्ताक्षर नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित





अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलार्थी निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। अपीलान्त द्वारा सिवायकच भूमि पर अतिक्रमण किया गया है यदि अदालत हाजा द्वारा अपीलान्त की राजा माफ की जाती है तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनों पक्षों की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) को नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतीचारी होने के प्रश्न है तो इस संबंध में पूर्व में किये गये अतीचार के संबंध में सुद्धद साध्य या अभिलेख पूर्व में अतिक्रमण संबंधित पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं निर्णय की प्रति, पूर्व की मौके से वेदखली रिपोर्ट तथा अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किस खसरे व कितने रकबे पर अतिक्रमण किया हुआ था व पूर्व वेदखली का भी कही अंकन नहीं है। मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर सिविल कारावास जैसी कठोर सजा का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। सिविल कारावास की सजा के लिए सुद्धद अभिलेख का पत्रावली में अभाव पाया गया है तथा तहसीलदार वजीरपुर के पत्रांक रीडर/2024/20 दिनांक 02.05.2024 के अनुसार उक्त वाद आराजीयात भूमि वर्तमान में खाली है एवं किसी का कब्जा नहीं है। ऐसी अवस्था में सुद्धद अभिलेख के अभाव में पारित किया गया सिविल कारावास की सजा का आदेश प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त आंशिक रूप से सिविल कारावास की सजा की हद तक स्वीकार की जाती है तथा शेष शास्ति व वेदखली का आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रवि वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी